28/07/2020

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख को पंजीकृत करें। राजस्व उप निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–महुआसिंधा, खाता सं0 01,प्लौट सं0 08,24,61 एवं अन्य कुल प्लौट 22, रकवा 12.83 ए0 भूमि खतियान में शोभा सिंह वगै0 के नाम से दर्ज है। जो वकास्त खाते की भूमि है। पंजी II के पृष्ठ संख्या 95 भोलूम सं0 2 मौजा–धरमपुर के पंजी II मौजा–महुआसिंधा, खाता सं0 01 रकवा 19.37 ए0 – 0.12 ए0 = 19.25 ए0, लगान 33.05 रू0 – 0.30 रू = 32.75 रू की जमाबंदी खेदु सिंह पिता–यदुनन्दन सिंह वो कुलो सिंह पिता–शोभा सिंह के नाम से दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम के नाम रेन्ट एसेसमेन्ट केश सं0 100/57–58 दर्ज पाया गया निर्गत लगान रसीद सं0 3429053 दिनांक 13.01.10 वर्ष 2009–10 तक प्रविष्टि की गई है जो ऑनलाईन पंजी II में दर्ज नही है। जमाबंदी को नया पंजी II के पृष्ठ सं0 18 भोलूम सं0 1 पर पेज न0 95 से लाया गया का उल्लेख कर खाता सं0 01, रकवा 19.25 ए0 खेदु सिंह वगै0 के नाम से दर्ज कर दिनांक 24.12.2015 को रसीद सं0 046600 वर्ष 2014–15 तक का निर्गत रसीद प्रविष्टि की गयी है। पुनः दर्ज जमाबंदी को डबल इन्ट्री कैन्सील कर पेज सं0 13 मे चला गया का उल्लेख किया गया है।

पंजी II के पृष्ठ सं0 13 भोलूम सं0 1 को देखने पर पाया गया कि खाता सं0 01 रकवा 6.41 ए0 की जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम कर तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा लगान रसीद निर्गत कर रसीद सं0 087421 दिनांक 31.01.2018 वर्ष 2017–18 का प्रबिष्टि की गयी है।

पंजी II के पृष्ठ सं0 42 भोलूम सं0 1 में खाता सं0 1 को देखने पर पाया गया कि खाता सं0 01 रकवा 19.25 ए0 खेदु सिंह पिता—यदुनन्दन सिंह वो कुलो सिंह पिता—शोभा सिंह के नाम से जमाबंदी कायम कर वर्ष 2014—15 तक लगान रसीद सं0 046600 दिनांक 24.12.2015 का प्रबिष्टि की गयी उपरोक्त दोनो जमाबंदी आनलाईन पंजी II में दर्ज नही पाया गया।

राजस्व उप निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष अर्जुन सिंह पिता—कुलो सिंह के नाम से पंजी II के पृष्ठ सं0 13 भोलूम सं0 1 में चल रही जमाबंदी मौजा—महुआसिंधा, खाता सं0 01, प्लौट सं0 08,24,61 रकवा 6.41 ए0 एवं पंजी II के पृष्ठ सं0 43 खाता सं0 01 रकवा 12.83 ए0 से संबंधित राजस्व कागजात नही प्रस्तुत किये जबकी प्रश्नगत भूमि खतियान मे वकास्त दर्ज है, जिसका विधिवत लगान निर्धारण कर जमाबंदी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से किया जाना है।

द्वितीय पक्ष गोविन्द सिंह पिता—खेदु सिंह के नाम से पंजी II के पृष्ठ सं0 42/1 पर मौजा—महुआसिंधा, खाता सं0 01, रकवा 19.25 ए0 जमाबंदी कायम की गई है। जबकी विधिवत लगान निर्धारण होकर लगान रसीद निर्गत होना चाहिए।

उपरोक्त दोनो जमाबंदी प्राप्त प्रतिवेदनानुसार संदेहास्पद प्रतीत होता है, चूकि भू—खण्ड सर्वे खतियान मे वकास्त दर्ज है। वकास्त भूमि का विधिवत सक्षम पदाधिकारी के द्वारा लगान निर्धारन स्वकृति के पश्चात ही जमाबंदी कायम किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है। प्रश्नगत भू—खण्ड पर उभय पक्षों के द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक भूमि पर दो पक्षों के द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाना Title से संबंधित प्रतित होता है। जो अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नही है। असंतुष्ट पक्ष अपना दावा सक्षम न्यायालय में दायर कर सकते है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है ।

लेखापित एवं सत्यापित।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।